न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:— 61/2021

तारीख रजू :— 05.08.2021

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. खिलाडी उम्र 60 वर्ष
2. रत्ती उम्र 68 वर्ष
3. रामदेव उम्र 73 वर्ष
4. रामप्रसाद उम्र 58 वर्ष
5. रामस्वरूप उम्र 55 वर्ष

(1–5) पि0 मांग्या — जाति जोगी निवासी भोपुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

6. रामकेश दत्तक पुत्र रामदेव उम्र 40 वर्ष

—प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मसिंह उर्फ काडू पुत्र पुत्र सुगन्या जाति जोगी निवासी भोपुर तह0 बालघाट जिला करौली राज0
2. श्रीमति विरमा देवी पत्नि धर्मसिंह जाति जोगी निवासी भोपुर तह0 बालघाट जिला करौली राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :— 1 अभिभाषक प्रार्थी :— श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर — श्री सुनील जिन्दल एडवोकेट

निर्णय दिनांक— 27.03.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भोपर तहसील बालघाट जिला करौली के आराजी खाता संख्या 296 खसरा नं0 26/0.37 है0, खसरा नं0 27/0.13 है0, खसरा नं0 28/0.31 है0, खसरा नं0 29/0.10 है0, खसरा नं0 49/0.12 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 1.03 है0 ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

उक्त आराजीयात प्रार्थीगण की पैत्रृक आराजीयात है। जो वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2078 में वादीगण की खातेदारी में बखूबी दर्ज है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र का साबिक खसरा नम्बर 6/6 रकबा 5 बीघा रहा है। उक्त साबिक आराजी खसरा नं0 6/6 रकबा 5 बीघा प्रार्थीगण के पिता श्री मांग्या पुत्र लाला जोगी को एलोट हुई थी। जो लगातार प्रार्थीगण के पिता के कब्जे काश्त व गैरखातेदारी में होने के कारण जरिये नामान्तकरण सं. 276 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता मांग्या के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुई थी। जो जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 से बखूबी स्पष्ट है। अप्रार्थीगण या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। अप्रार्थीगण नं0 1 ता 2 लट्ठ वाले व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 में विभिन्न प्रकार से व्यवधान डालकर उन्हे तंग व पेरशान करते रहते है। अप्रार्थी नं0 1 अपनी पत्नि अप्रार्थीया नं0 2 के द्वारा प्रार्थीगण के खिलाफ झूठा बलात्कार या चारित्रिक हनन का आरोप लगाकर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात को छीनना चाहता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के व्यक्तियों को मौके पर भिजवाकर प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी दिलवाकर उन्हे डरा धमकाकर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण से छीनना चाहता है।

वाका दिनांक 28.07.2021 को प्रातः 10 बजे का है जब प्रार्थीगण उक्त आराजीयात मद नं0 1 में बाजरे की फसल बोने गये तो अप्रार्थीगण 1 ता 2 अपने साथ 2–3 बदमाश व्यक्तियों को लेकर पार्थीगण की उक्त आराजीयात में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गये और प्रार्थीगण को माने दौडे और यह धमकी देने लगे कि उक्त आराजीयात को उनके नाम बिना किसी प्रतिफल से टान्सफर करवाओ अन्यथा हम इसमें तुम्हे काश्त करने नही देगें। प्रार्थीगण ने हाथ जोडकर काफी समझाने का प्रयास किया कि भाई यह पैत्रृक आराजीयात है और वे अपने पिताजी की उक्त धरोहर को किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचान या अन्य प्रकार से ट्रान्सफर नही करेंगे। किन्तु प्रतिवादीगण मानने को तैयार नही हुए। बडी मुश्किल से गांव के लोगों ने अप्रार्थीगण को समझाया तब जाकर अप्रार्थीगण शान्त हुए किन्तु

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जाते–जाते अप्रार्थीगण यह धमकी देकर गये है। कि वे उक्त आराजीयात की फसल को बर्बाद करके छोडगें तुम्हे शान्ति से काश्त नहीं करने देगें। अप्रार्थीगण ने सम्पूर्ण आराजीयात पर जबरदस्ती से लट्ठ की ताकत पर कब्जा करने की धमकी दी है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश करना लाजिमी हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल/अप्रार्थीगण नं01 ता 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे दौराने वाद प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 296 खसरा नं0 26/0.37 है0, खसरा नं0 27/0.13 है0, खसरा नं0 28/0.31 है0, खसरा नं0 29/0.10 है0, खसरा नं0 49/0.12 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 1.03 है0 ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली राज0 के उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करें ना ही प्राथीगण के खिलाफ बलात्कार या चारित्रिक हनन या अन्य किसी प्रकार का झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देवें और ना ही झूठे आपराधिक मुकदमों में फसाने की धमकी देकर उक्त आराजी को उनसे छीनने का प्रयास करें अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससें प्रार्थीगण के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज कराई एवं दिनांक 31.08.2023 को प्रतिवादी 1 ता 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत जबाब में अधिकतर मद अस्वीकार किये गये।

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मद नं0 2 खाता सं0 296 में दर्ज आराजीयात का ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली में स्थित होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि उक्त सम्पूर्ण भूमि पर सायलान का कब्जा नही होकर गैरसायल नं01 का भूमि खसरा नं0 26/37 ऐयर, ख0नं. 27/13 ऐयर, ख0नं0 29/10 ऐयर पर काबिज व दखील चला आ रहा है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार से नही है।

सायलान के पिता मांग्या व गैरसायलान नं0 1 के पिता सुगन्या खास भाई है जिनका साविक ख0नं. 6/6 रकबा 5 बीघा पर अपने पिता के जमाने से बराबर–2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा था लेकिन सायलान के पिता मांग्या चतुर व कर्ताखानदान होने से सम्पूर्ण भूमि को गैरसायल नं0 1 के पिता की जानकारी में लाये बिना स्वयं के नाम गलत रूप से अलोटमेन्ट करवा ली जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि में गैरसायल नं0 1 का मौके पर जमाने बुजुर्गान पहले गैरसायल नम्बर 1 के पिता का कब्जा चला आ रहा था और वर्तमान में गैरसायल नं0 1 का कब्जा चला आ रहा है। जिससे वादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार से नही है।

गैर सायलान नं0 1 ता 2 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की नियत से यह वाद दर्ज किया है। सायलान झगडालू किस्म के व्यक्ति है , जो गैरसायल नं0 1 व 2 को मुकदमें के माध्यम से अनैतिक रूप से बेदखल करना चाहते है।

दिनांक 28.07.2021 को या कभी भी सायलान एवं गैरसायल नं0 1 ता 2 के मध्य उक्त मद में दर्ज बाते नही हुई ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी है, क्योंकि सायलान का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है तो सायलान को बेदखल करने का सवाल ही नही उठता है। सायलान मुकमदमें के माध्यम से गैरसायलान नं0 1 ता 2 की भूमि को हडपना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

सायलान का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा नही है इसलिए ना तो सायलान का प्राइमाफेसी केस साबित है ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति ही सायलान के पक्ष में साबित है, बल्कि उक्त तीनो बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

विशेष विवरण व काउन्टर क्लैम

वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 26/0.37 है0, खसरा नं0 27/0.13 है0, खसरा नं0 28/0.31 है0, खसरा नं0 29/0.10 है0, खसरा नं0 49/0.12 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 1.03 है0 ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली में से गैरसायल नं0 1 का मौके पर जमाने बुजुर्गान पिछले करीब 70 साल से भूमि खसरा नं0 26/37 ऐ0, ख0नं0 27/13 ऐ0, ख0नं0 29/10 ऐ0 पर सायलान के बुजुर्ग मांग्या की जानकारी में रहते हुए निरन्तर व निर्वाद रूप से काबिज व दखील चले आ रहे है इसलिए गैरसायल नं0 1 ख0 नं0 26/37 ऐ0, ख0नं0 27/13 ऐ0, ख0नं0 29/10 ऐ0, का एडवर्ज पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

सायलान व गैरसायलान नं0 1 ता 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार है:–

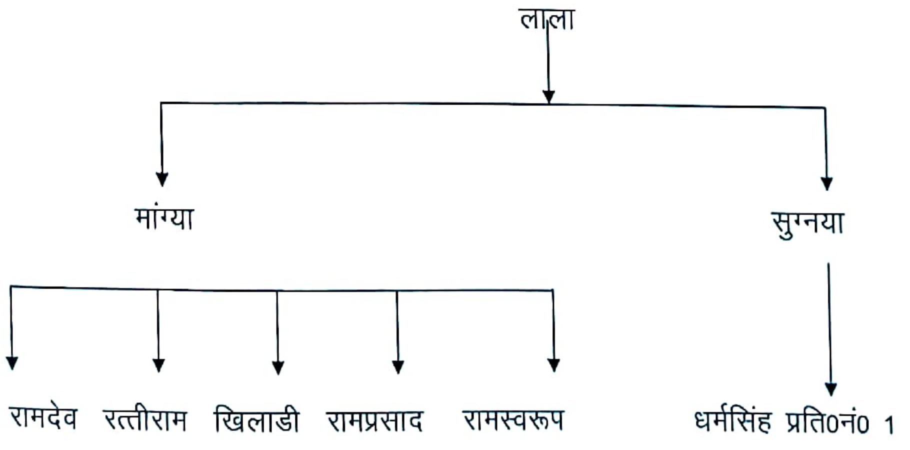

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादग्रस्त भूमि पर सायलान का कब्जा नही होने से सायलान भूमि मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में से खसरा नं0 26/37 ऐ0, ख0 नं0 27/13 ऐ0, ख0 नं029/10 ऐ0 पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा होने से सायलान गैरसायल नं0 1 ता 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता इसलिए कब्जे के अभाव में सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए ख0 नं0 26/37 ऐ0, ख0नं0 27/13 ऐ0, ख0नं0 29/10 ऐ0 ग्राम भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली में स्थित भूमि से गैरसायल नंबर 1 व 2 को उनके कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम भोपुर के खसरा नम्बर 26/0.37, 27/0.13, 28/0.31, 29/0.10, 49/0.12 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त स्थिति में मूल वाद में दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय तय होना है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में सिद्ध होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि अप्रार्थी को पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भोपुर के आराजी खसरा नम्बर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली